झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0 / योजना–08 / 2023/07/योजना /राँची, दिनांक– 16.05.2023

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, राँची।

विषयः– **राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) संचालित करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन करते हुए उक्त कार्य के लिए होने वाले संभावित व्यय के निमित कुल राशि रु0 2,18,44,160/– (दो करोड़ अठारह लाख चौवालिस हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :–स्वीकृत।

झारखंड सरकार द्वारा झारखंड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI), राँची की स्थापना विज्ञान का प्रचार–प्रसार करने एवं आम–जनों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने, विज्ञान केंद्रों, साइंस सिटी, तारामंडल, इनोवेशन हब आदि की स्थापना करने, शोध–अन्वेषण कार्य, वर्कशॉप, सेमिनार आदि के आयोजन के उद्देश्य से की गई है।

2) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत संचालित स्वायत्त संस्था है, जो केंद्र सरकार द्वारा साइंस सिटी, विज्ञान केंद्र, इनोवेशन हब, आदि की स्थापना हेतु अधिकृत है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता को मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बस की स्थापना एवं संचालन में भी दक्षता प्राप्त है एवं वर्तमान में उनके द्वारा देशभर में कुल 48 मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बसों का संचालन किया जा रहा है।

3) झारखण्ड राज्य में विज्ञान का प्रचार–प्रसार राज्य के दूरस्थ गांव तक किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता के सहयोग से 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) संचालित करने का विचार है। मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस के संचालन से छात्र–छात्राओं में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता एवं उनमें रचनात्मकता बढेगी तथा उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो शहरों या विज्ञान केंद्रों का भ्रमण करने में असमर्थ हैं, वे भी इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से छात्र–छात्राओं के विज्ञान की पढाई को विभिन्न Demonstration Kit एवं Exhibits के माध्यम से और भी सशक्त बनाया जा सकता है। यह कार्यक्रम छात्र–छात्राओं को अपने वैज्ञानिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग करने और वैज्ञानिक सोच बढाने में सहायक होगा।

4) परिषद् द्वारा मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन हेतु राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता से प्राक्कलन प्राप्त किया गया। उप महानिदेशक, NCSM, कोलकाता के पत्रांक I-17011/6/213, दिनांक 18.01.2023 द्वारा मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन एवं अनुरक्षण पर होने वाले व्यय का प्राक्कलन तीन विकल्पों में उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत् है –

Options	Estimated Cost in Year 2022 (In lakh)	Estimated Cost in Year 2023 (In lakh)	Estimated Cost in Year 2024 (In lakh)
Option 1 : (a) MSE Bus (Large Chassis)	94.264	98.98	103.93
1 (b) MSE Van (**For hilly areas** and difficult terrains where large chassis buses can't operate)	113.89	119.58	125.56
Option 2 : NCSM shall handover complete MSE bus on loan to the interested Science Centre	As per actual to be borne by the State Govt.		
Option 3 : NCSM shall operate and maintain MSE bus in the name of the interested Science Centres	43.00	45.15	47.41

उपरोक्त विकल्पों की विवरणी –

क) विकल्प 1(a) – इसके अंतर्गत विभाग द्वारा NCSM, कोलकाता से मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) का क्रय किया जायेगा। इस निमित कुल लागत राशि NCSM, कोलकाता को अग्रिम रूप में भुगतान की जायेगी।

बस एवं प्रदर्श पर होने वाले सभी व्यय यथा – अनुरक्षण, संचालन, दक्ष मानव बल, रोड टैक्स, फिटनेस, बीमा आदि का वहन सीधे तौर पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

ख) विकल्प 1(b) – यह विकल्प पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है एवं झारखण्ड राज्य के लिए लागू नहीं होता है।

ग) विकल्प 2 – इसके अंतर्गत NCSM कोलकाता द्वारा विभाग को मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) किराये के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा बस का स्वामित्व NCSM, कोलकाता का होगा। इस निमित विभाग द्वारा मात्र किराये की राशि NCSM कोलकाता को अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

बस एवं प्रदर्श पर होने वाले सभी व्यय यथा – अनुरक्षण, संचालन, दक्ष मानव बल, रोड टैक्स, फिटनेस, बीमा आदि का वहन सीधे तौर पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

घ) विकल्प 3 – इसके अंतर्गत विभाग द्वारा NCSM, कोलकाता को मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में एक मुश्त राशि भुगतान की जायेगी तथा बस का स्वामित्व NCSM, कोलकाता का होगा।

बस एवं प्रदर्श पर होने वाले सभी व्यय यथा – अनुरक्षण, संचालन, दक्ष मानव बल, रोड टैक्स, फिटनेस, बीमा आदि का वहन विभाग द्वारा NCSM, कोलकाता को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु दिये गये अग्रिम राशि से किया जायेगा।

5) दिनांक 04.01.2023 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक में उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता के द्वारा उक्त विकल्पों में से विकल्प–3 को राज्य के लिए Suitable बताया गया। विभाग में दक्ष मानव बल की कमी एवं अन्य कारणों को देखते हुए समीक्षोपरान्त विकल्प–3 को राज्य के लिए उपयुक्त पाया गया। विकल्प–3 में दर्शायी गयी दरें GST सहित निम्नवत हैं –

क्र0 सं0	वर्ष 2023 हेतु प्राक्कलन	वर्ष 2024 हेतु प्राक्कलन (5% वार्षिक वृद्धि के साथ)
1.	• 01 बस हेतु रु0 45.15 लाख +18% GST = रु0 53.277 लाख • 02 बस हेतु रु0 1,06,55,400/–	• 01 बस हेतु रु0 47.41 लाख +18% GST = रु0 55.9438 लाख • 02 बस हेतु रु0 1,11,88,760/–

6) उपरोक्त राशि में NCSM, कोलकाता द्वारा Science Exhibits (20 Nos.), Science Demonstration Lecture Kits, Telescope, Taramandal Prototype, Projector, Projection Screen, Portable PA System, Inverter आदि से सुसज्जित दो बसें राज्य भर में चलाया जाएगा। एक मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस संथाल–परगना प्रमंडल एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल तथा दूसरी मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस पलामू प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल एवं कोल्हान प्रमंडल में संचालित की जायेगी। JCSTI, Ranchi द्वारा उक्त मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के भ्रमण का कार्यक्रम एवं सारणी (Schedule) निर्धारित कर NCSM, कोलकाता को उपलब्ध कराया जायेगा। मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस JCSTI द्वारा निर्धारित सारणी अनुसार विभिन्न जिलों में अवस्थित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/डिग्री स्तरीय अभियंत्रण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अन्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालय के प्राचार्य/जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)/जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) को रिपोर्ट करेंगे एवं उक्त संस्थान के प्राचार्य/DEO/DSE आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर विद्यालयों में मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस का भ्रमण कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे।

7) Price Reasonability के सम्बन्ध में NCSM, कोलकाता के पत्रांक I-17011/6/213, दिनांक 18.01.2023 द्वारा पुष्टि की गयी है कि NCSM, कोलकाता की तकनीकी समिति द्वारा दरों की समीक्षोपरान्त NCSM के सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित हैं तथा ये दरें Optimal & Reasonable है।

8) अतः उक्त के आलोक में राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) संचालित करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन करते हुए उक्त कार्य के लिए होने वाले संभावित व्यय के निमित कुल राशि रु0 2,18,44,160/– (दो करोड़ अठारह लाख चौवालिस हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

9) 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) संचालित करने हेतु अग्रिम के रूप में राशि रू0 2,18,44,160/– (दो करोड़ अठारह लाख चौवालिस हजार एक सौ साठ रूपये) (वर्ष 2023 में संचालन के पूर्व राशि रु0 1,06,55,400/– मात्र एवं वर्ष 2024 में संचालन के पूर्व राशि रु0 1,11,88,760/– मात्र) भुगतान की जायेगी।

10) उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–004/796–अनुसंधान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–41–झारखण्ड कौंसिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, रॉची–सहायता अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) ईकाई के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा।

11) योजना के सकारात्मक सफल संचालन के पश्चात् इसे अगले तीन वर्षों तक विस्तारित किया जायेगा।

12) उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, रॉची होंगे एवं राशि की निकासी झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के PL खाता में संधारित राशि से की जायेगी।

13) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।

14) राशि की निकासी किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अतंर्गत होगा।

15) स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जायेगा। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

16) राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

17) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि की भुगतान बैंक अकाउंट/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

18) राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।

19) वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम 339–344 के तहत पी0एल0 खाता के शीर्ष–8448 से राशि की निकासी की जाएगी।

20) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।

21) प्रस्ताव माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की सहमति प्राप्त है।

22) प्रस्ताव वित्त विभाग की सशर्त्त सहमति प्राप्त है। परामर्शानुसार विभाग द्वारा गठित टीम ने विषयांकित कार्य हेतु राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता द्वारा समर्पित प्राक्कलन में दिये गये दर को Reasonable माना है।

23) योजना स्वीकृत होने के पश्चात राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता एवं झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची के बीच एकरारनामा (MoU) हस्ताक्षरित किया जायेगा। एकरारनामा (MoU) पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

24) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 26.04.2023 में मद सं0 19 के रूप में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

25) स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड तथा वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।

26) व्यय विवरणी टी0 वी0 नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिक सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

12.5.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 02.त0शि0/योजना–08/2023/07/योजना/राँची, दिनांक – 16.05.2023

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.5.23

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 02.त0शि0/योजना–08/2023/07/योजना/राँची, दिनांक – 16.05.2023

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/कुलपति सभी राजकीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड/प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक–II को Upload हेतु/लेखा शाखा/निर्गत शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)	(मनौवर आलम)	(गरिमा सिंह)	12.5.23
प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	निदेशक, तकनीकी शिक्षा	सरकार के सचिव